

सं.सं0-7/जिला चिकित्सा पदा0-19-01/2018- 24 (7)A
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(87)

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
बॉका/भागलपुर/मुंगेर ।

पटना, दिनांक : 23 - 07 - 18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में श्रावणी मेला हेतु अन्य इकाईयो में कुल ₹17,55,000/- (सत्रह लाख पचपन हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष/ विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-12.06.2018 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में श्रावणी मेला हेतु अन्य इकाईयो में कुल ₹17,55,000/- (सत्रह लाख पचपन हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरण संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड-20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।


8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के अपर सचिव



ज्ञापांक : 24(7)A

पटना, दिनांक : 23-07-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव
रंजीत

86

- 3 -

विवरणी

क्रम	जिला का नाम	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	दवा भंडार (21-02)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	बॉका	30000	25000	50000	700000	805000
2	भागलपुर	20000	20000	35000	450000	525000
3	मुंगेर	20000	20000	35000	350000	425000
	कुल	70000	65000	120000	1500000	1755000

(सत्रह लाख पचपन हजार रू०)

Dorone

सरकार के अपर सचिव

रजि

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित	वर्तमान आवंटित	कुल आवंटित	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	520013000	228500000	0	228500000	291513000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	520011000	228500000	0	228500000	291511000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	74474000	376750000	0	376750000	367990000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	4112000	1600000	0	1600000	2512000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	10260000	4438000	0	4438000	5822000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	38640000	19021500	0	19021500	19618500
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	700000000	314084500	0	314084500	385915500
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	0	0	0	1000000
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	2500000	1101000	70000	1171000	1329000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	5000000	2026000	65000	2091000	2909000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	1530000	120000	1650000	1350000
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	133000	0	133000	167000
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	4680000	0	4680000	1870000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	950000	0	950000	1050000
15	वर्दी/ पोषाक (0002-13-06)	300000	148000	0	148000	152000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	532000	0	532000	578000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	1500000	760000	0	760000	740000
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	0	1500000	1500000	900000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	संविदा सेवाएँ (0002-28-02)	2000000	950000	0	950000	1050000
22	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	730162000	326894500	1755000	328649500	401512500

24(7)g
23-07-18

सरकार के अपर सचिव

रजि